

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### संशोधन आदेश


राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची I/II के ग्रुप डी-II में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी-II) पे-बेण्ड 15600-39100 पी बी-3 ग्रेड पे 6600 में वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही के पुनरावलोकन (रिव्यू) बैठक में रिव्यू एवं रिविजन की पृथक सूची में की गई अनुशंषाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमोंक:- शिविरा-माध्य/संस्था/बी-III/ डीपीसी/ रिव्यू-प्रधानाचार्य/ 15-16/15 दिनांक:- 18.02.16 द्वारा रिव्यू एण्ड रिविजन की पृथक सूची चयन किये जाने पर आदेश क्रमोंक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/रिव्यूरि 15-16/2016 दिनांक:- 27.02.2016 द्वारा श्री रामकेश मीणा, प्रअ, रामावि, बीजालपुर-करौली को राउमावि, दरियाती-डूंगरपुर में पदस्थापन किया था।

उक्त आदेश में उल्लेखित राउमावि, दरियाती-डूंगरपुर के स्थान पर राउमावि, बुगदर-सपोटरा करौली किये जाने एवं कार्यग्रहण तिथि में दिनांक 21.04.16 तक की अभिवृद्धि किये जाने का संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है।

  
(बी.एल.स्वर्णकार)  
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

- क्रमोंक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/रिव्यूरि 15-16/2016 दिनांक:-17.04.16  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत
01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
  02. उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर/कोटा
  03. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक-I/II) डूंगरपुर/करौली
  04. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि, बुगदर सपोटरा करौली/दरियाती डूंगरपुर
  05. श्री रामकेश मीणा, प्रअ, रामावि, बीजालपुर-करौली
  06. निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
सयुक्त निदेशक-कार्मिक